



जोधपुर  
विद्युत वितरण  
निगम लि०

आर.ई.ओ.- 188

क्रमांक : जोडि/अ.प्रनि/अ.अ./पीपी एण्ड एम/फा०/प्रे० 2877

जोधपुर, दिनांक 22/11/10

आदेश

विषय :- कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढे हुए भार की "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना"।

\*\*\*\*\*

निगम द्वारा आदेश क्रमांक : जोडि/अ.प्रनि/अ.अ./पीपी एण्ड एम/फा०/प्रे०826 जोधपुर, दिनांक 4.6.2010 (आर.ई.ओ-183) द्वारा लागू की गई कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढे हुए भार की "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" की अवधि आर.ई.ओ. संख्या 183 में उल्लेखित समयावधि की निरन्तरता मे भूलक्षी प्रभाव से दिनांक 1 अक्टूबर 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक बढ़ायी जाती है।

अन्य प्रावधान/शर्तें यथावत् रहेगी।

आदेशानुसार,

(ए.के.माथुर)

अधीक्षण अभियन्ता (पी.पी.एण्ड.एम)  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अध्यक्ष डिस्कॉम्स एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
3. प्रबन्ध निदेशक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
4. निदेशक (वित्त/तकनीकी) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
5. सचिव (प्रशासन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
6. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
7. सभागीय मुख्य अभियन्ता (जो.स/बी.स) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
8. मुख्य लेखाधिकारी (ए एण्ड आर/...../.....) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर।
9. अधीक्षण अभियन्ता (आर.ई.एण्ड प्लान) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
10. अधीक्षण अभियन्ता (योजना), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
11. अधीक्षण अभियन्ता (आर ए एण्ड सी/टी.डब्लू /वाणिज्य /एमएमसी /एमएण्डपी/बीएफएल) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/जैसलमेर।
12. अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/परि. एवं संधा.)जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालौर/बाडमेर/बीकानेर / चुरू / श्रीगंगानगर /हनुमानगढ़ उक्त आदेशो का कृषि उपभोक्ताओ के मध्य व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये तथा उभोक्ताओ को अधिक से अधिक लाभ दिया जाये।
13. अधीक्षण अभियन्ता (आई.टी.) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर। कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाईट पर उपलब्ध कराये।
14. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) /उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
15. निजी सचिव, माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
16. वरिष्ठ लेखाधिकारी (परि.एवं संधा./एन.एम./अंकेक्षण), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/ बीकानेर।
17. कम्पनी सचिव/उपनिदेशक (कार्मिक) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
18. प्रावै.सहायक माननीय प्रबन्धक निदेशक महोदय, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
19. अधिशाषी अभियन्ता( /पवस/विधि/सर्तकता/अंकेक्षण )जोविधिनिलि..... (आप के अधिनिस्थ कार्यरत सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता की अतिरिक्त प्रतिलिपि संलग्न है।) उक्त आदेशो का कृषि उपभोक्ताओ के मध्य व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये तथा उभोक्ताओ को अधिक से अधिक लाभ दिया जाये।
20. जनसम्पर्क अधिकारी जोविधिनिलि, जोधपुर

Recd 24/11/10

अधीक्षण अभियन्ता (पी.पी.एण्ड.एम)  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर